(74)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी-5477/2018/इंदौर/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 24.03.2018 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील व जिला इंदौर प्रकरण क्रमांक 97/अ-12/2017-18.

---

1. मीराबाई पति अम्बाराम पाटीदार
   निवासी ग्राम खजराना, तहसील व जिला इंदौर
2. महेन्द्र पिता अम्बाराम पाटीदार
   निवासी ग्राम खजराना, तहसील व जिला इंदौर
3. ओमप्रकाश पिता अम्बाराम पाटीदार
   निवासी ग्राम खजराना, तहसील व जिला इंदौर
4. हुकुमचन्द पिता अम्बाराम पाटीदार
   निवासी ग्राम खजराना, तहसील व जिला इंदौर
   समस्त तर्फे आम मुख्त्यार :-
   इस्लाम पिता शफी पटेल
   निवासी 8, हीना पैलेस, खजराना, इंदौर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. श्री गिरीराज पिता वल्लभदास गुप्ता
   निवासी 151, छत्रपति नगर, इंदौर
2. श्रीमती रामसुखी देवी पिता वल्लभदास गुप्ता
   निवासी 151, छत्रपति नगर, इंदौर
3. लीलादेवी पिता वल्लभदास गुप्ता
   निवासी 151, छत्रपति नगर, इंदौर
4. धापूदेवी पिता वल्लभदास गुप्ता
   निवासी 151, छत्रपति नगर, इंदौर
5. रेखादेवी पिता वल्लभदास गुप्ता
6. निवासी 151, छत्रपति नगर, इंदौर .....अनावेदकगण

श्री हरीश सोलंकी, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 20/6/19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील व जिला इंदौर द्वारा पारित दिनांक 24.03.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक गिरीराज एवं रामसुखीदेवी द्वारा लोकसेवा केन्द्र में रजिस्ट्रेशन क्र. RS/439/0736/248/2018 संहिता की धारा 129 के तहत एक आवेदन पत्र ग्राम खजराना स्थित भूमि सर्वे क्र. 304/3, 304/4 रकबा 0.026, 0.048 हैक्टेयर भूमि के सीमांकन हेतु तहसीलदार, तहसील व इंदौर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र. 97/अ-12/2017-18 दर्ज कर सीमांकन आदेश दिनांक 24.03.2018 पारित किया गया। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) तहसीलदार के समक्ष अनावेदकगण द्वारा एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 129 के अंतर्गत ग्राम खजराना स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 304/3 एवं 305/4 रकबा 0.026 एवं 0.048 हैक्टेयर भूमि के संबंध में प्रस्तुत किया गया। विदित हो कि संबंधित सर्वे क्रमांकों से संलग्न भूमि सर्वे क्रमांक 310/6 रकबा 0.07 हैक्टेयर भूमि आवेदकगण के स्वामित्व की है एवं मौके पर स्थित संबंधित भूमि का सीमांकन तहसीलदार के आदेश पर राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया। वस्तुतः संदर्भित भूमि के सीमांकन दिनांक 03.01.2011 को संबंधित सीमांकन कर लिया गया था, उक्त सीमांकन अंकित हो चुका होकर अनावेदकगण पर बंधनकारक है। वर्ष 2011 में स्थापित सीमाचिन्हों के आधार पर अनावेदक अपनी सम्पत्ति पर काबिज है। संबंधित अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर किये गये सीमांकन से असंतुष्ट होने पर आवेदकगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई, किंतु संबंधित आपत्ति को दरकिनार करते विवादित तौर पर राजस्व अधिकारियों द्वारा सीमांकन कार्य किया गया, जिसके कारण आवेदकगण को गंभीर क्षति कारित हुई है।

(2) संबंधित प्रकरण में पूर्व में किये गये सीमांकन दिनांक 03.01.2011 के प्रभावशील रहते पुनः नवीन सीमाचिन्हों के साथ सीमांकन किया गया, जो कि त्रुटिपूर्ण है। पूर्व में सीमांकन कार्य वर्तमान में प्रभावशील है एवं उसे किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। ऐसी अवस्था में संबंधित किया गया सीमांकन कार्य पूर्णतया त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं। पूर्व मे आवेदकगण द्वारा किये गये सीमांकन की प्रति संलग्न है।

(3) किया गया सीमांकन कार्य व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पश्चात भी आधिपत्य संबंधी वितरण करते पारित किया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

(4) संदर्भित सीमांकन कार्य में संलग्न भूमि के समस्त भूमिस्वामीगण के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किए जाने के उपरांत भी सीमांकन कार्य किया गया एवं संबंधित आपत्तियों का योग्य निराकरण भी तहसीलदार द्वारा नहीं किया गया, इस कारण पारित विवादित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.03.2018 एवं उससे संबंधित समस्त कार्यवाही को निरस्त करने हेतु आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

5/ आवेदक पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह प्रकरण सीमांकन का है जो अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभ हआ है जिसमें उनके द्वारा सर्वे नं0 304/3 रकबा 0.026 तथा 0.048 का सीमांकन चाहा गया है । अभिलेख के अवलोकन से पाया जाता है कि इस प्रकरण में सीमांकन कार्यवाही विधिवत नहीं की गई है क्योंकि सीमांकन हेतु जो आवेदन दिया गया उसमें अनावेदक क्रं. 1 एवं 2 द्वारा यह उल्लेख नहीं किया गया है प्रश्नाधीन भूमि के चारों सीमाओं में किस भूमिस्वामी की भूमि है, जो कि आवश्यक था । अभिलेख में जो सूचनापत्र संलग्न हैं उसमें सूचनापत्र में कई व्यक्ति सरहदी काश्तकार बताए गए हैं परंतु सूचनापत्र पर सभी के हस्ताक्षर नहीं है इसी प्रकार सूचनापत्र की दिनांकों में भी कांट-छांट है । इसके अतिरिक्त अभिलेख में जो पंचनामा संलग्न है, उसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में सीमांकन कार्यवाही सर्वे नं0 286/3, 287/2/4 व 305/1/1 की मध्य मेड को आधार मानकर की गई है, जो विधिवत नहीं है । सीमांकन कार्यवाही स्थाई सीमा चिन्हों के आधार पर की

जाना चाहिए थी । अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रकरण में दिनांक 24-3-19 को सीमांकन किया जाकर पंचनामा आदि तैयार किया गया है, उसी दिनांक को राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन तहसीलदार को प्रस्तुत किया गया है और तहसीलदार द्वारा दिनांक 24-3-19 को ही यह मानते हुए कि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है, सीमांकन की पुष्टि करदी गई है । उक्त कार्यवाही एक ही दिन में संपादित कर देना सीमांकन को संदिग्ध बना देता है । तहसीलदार के आदेश से स्पष्ट होता है कि उन्होंने राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन की पुष्टि करने के पूर्व यह देखने का प्रयास नहीं किया कि सीमांकन की कार्यवाही विधिवत हुई है या नहीं । तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में यह लिखना कि सीमांकन पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई भी त्रुटिपूर्ण है क्योंकि आवेदकगण के मुख्यार इस्माइल पिता शफी पटेल द्वारा व्यवहार न्यायालय के निर्णय दिनांक 16-2-15 के आधार पर सीमांकन पर आपत्ति किए जाने का उल्लेख राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने प्रतिवेदन में किया है । सीमांकन करते समय आवेदकगण द्वारा दिनांक 3-1-2011 को कराए गए सीमांकन पर भी विचार नहीं किया गया है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक द्वारा किए गए सीमांकन की पुष्टि करने में अवैधानिकता की गई है । अतः उनका आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 24-3-18 निरस्त किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर